न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1223–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 5/12–13/स्वमेव निगरानी ।

---

1 गनेशी बाई पत्नी श्री रामचरन
2 धमेन्द्र पुत्र परमानन्द
3 लायक राम पुत्र श्री हर विलास
4 सरनाम सिंह पुत्र परमा
5 हाकिम सिंह पुत्र देवलाल
6 राम बरन पुत्र लाला राम
7 रमेश पुत्र बैजनाथ
8 प्रेमसिंह पुत्र गिरवर
9 हाकिम सिंह पुत्र रामदरश
10 दशरथ पुत्र लाला राम
11 अजमेर सिंह पुत्र लाला राम
12 जयन्ती पुत्री तुलसी
13 जगन्नाथ पुत्र खच्चू
14 धीरज पुत्र नामदेव
15 मनीष पुत्र अशोक
16 आशा पत्नी श्री दिनेश
समस्त निवासीगण ग्राम बीजकपुर तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन
2 नाथूराम पुत्र पातिराम बघेल
निवासी ग्राम बीजकपुर तहसील डबरा
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एन0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 22 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 11–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा दिनांक 28–9–2012 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 22/03–04/अ–19 से बीहड भूमि का बंटन विहीत प्रकिया का पालन किये बगैर किया गया है, जिस कारण ग्राम बीजकपुर के ग्रामवासियों द्वारा आये दिन पट्टा निरस्त करने के शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है , जिसके संबंध में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा भेजे गये प्रस्ताव दिनांक 3–12–2000 के कम में आगामी कार्यवाही की जाये । कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव एव नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन तथा शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 22/03–04/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 7–7–2003 को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनने संबंधी आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 11–3–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन बंटित भूमि चरनोई की भूमि न होकर बीहड की भूमि है और उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 2 कलेक्टर के समक्ष प्रचलित स्वप्रेरणा से निगरानी के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है, क्योंकि उक्त

प्रकरण में उसका कोई हित निहित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि अनावेदक कमांक 2 हितबद्ध पक्षकार था तो उसे बंटन आदेश को चुनौती देना थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंटन का प्रकरण शासन एवं बंटन. ग्रहीता के मध्य होता है, शिकायतकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं होता है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाये जाने से स्वप्रेरणा से निगरानी का स्वरूप समाप्त हो गया है और आवेदन पत्र पर निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने से उसे अपील एवं निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा, जिससे विवाद की बाहूलता बढ़ेगी । तर्क के समर्थन में 1999 राजस्व निर्णय 165, 1995 राजस्व निर्णय 337, 1999 (1) एमपीडब्लूएन 11 एवं 1992 (2) एमपीडब्लूएन 138 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा चरनोई भूमि का बिना नोइयत परिवर्तन कराये फर्जी बंटन करा लिया गया है । यह भी कहा गया कि बंटन के प्रकरण में प्रत्येक ग्रामवासी को पक्षकार बनने का अधिकार है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 कलेक्टर के समक्ष वास्तविक तथ्य एवं समस्त प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिये कलेक्टर द्वारा उसे पक्षकार बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन एवं शिकायती आवेदन पत्रों के आधार पर तहसीलदार का बंटन प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता अनावेदक कमांक 2 नाथूराम को अनावेदक कमांक 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जबकि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में शिकायतकर्ता हितबद्ध पक्षकार नहीं होता है और न ही उसके हित प्रभावित होते है । कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 को शासन हित में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये पक्षकार बनाया गया है, जबकि अनावेदक कमांक 2 बिना पक्षकार बने भी जानकारी उपलब्ध करा सकता है, इसके लिये पक्षकार बनाया जाना उचित कार्यवाही नहीं है । 1992 (दो) एमपीडब्लूएन

138 ज्योति इलेक्ट्रिकल कंपनी वि0 ग्यासीराम में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आ01,नि0 10 (2)–पक्षकार द्वारा वाद संपत्ति में कोई हक, अधिकार अथवा हित अर्जित नहीं–आवश्यक अथवा उचित पक्षकार नहीं ।"

इसी प्रकार 1999 राजस्व निर्णय 165 महन्त जगमोहन दास वि0 म0 प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आ01 नि0 10–पक्षकार आवश्यक पक्षकार नहीं और समुचित पक्षकार भी नहीं–वाद में संयोजित नहीं किया जा सकता।"

इसी प्रकार 1999 (1) एमपीडब्लूएन 11 नंदराम वि0 मुकेश कुमार में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आ0 1 नि0 10 (2) –बेदखली के लिए वाद–परव्यक्ति न आवश्यक पक्षकार है, न समुचित पक्षकार ही है –संयोजित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अतः कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1224–पीबीआर/13, निगरानी प्रकरण कमांक 1225–पीबीआर/13, निगरानी प्रकरण कमांक 1226–पीबीआर/13 एवे निगरानी प्रकरण कमांक 1227–पीबीआर/13 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर